

1 प्ररुप सं. 3गक

[नियम 6छ (1) (क) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में,
जहां किसी व्यक्ति के कारवार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई है

*मैं/हम यह रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं कि *मैंने/हमने/मैसर्स.....(निर्धारिती का नाम और पता, 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
सहित उल्लिखित करें)

ने.....अधिनियम के उपबंधों के अधीन की कानूनी संपरीक्षा की है और *मैं/हम
अपनी/उनकी तारीख की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित प्रत्येक की एक प्रति सहित इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं-

(क) से प्रारंभ को समाप्त हुई अवधि के लिए संपरीक्षित *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी ;

(ख) को यथा विद्यमान संपरीक्षित तुलन-पत्र, और

(ग) ऐसे दस्तावेज, जिन्हें उक्त अधिनियम द्वारा

*लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उसके संलग्नक के रूप में धोषित किया गया है।

2. धारा 44कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरणी प्ररुप सं. 3 गध में इसके साथ संलग्न है।

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए
स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररुप 3गध में दी गई विशिष्टियां निम्नलिखित संप्रेक्षण/विशेषक के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, यदि कोई हों:

क.

ख.

ग.

**(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

तारीख :

पूरा पता

1. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2014 द्वारा 25.7.2014 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, प्ररुप सं. 3गक, आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1999 द्वारा 4.6.1999 से प्रतिस्थापित, आय-कर (संशोधन) नियम, 1985 द्वारा 1.4.1985 से अंतःस्थापित किया गया था और तत्पश्चात् आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1985 द्वारा 1.4.1985 से और आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2004 द्वारा 1.12.2004 से संशोधित किया गया था।
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. ** यह रिपोर्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
3. जहां इस प्ररूप में की किसी अपेक्षा का उत्तर नहीं में अथवा विशेषक के साथ दिया गया है, वहां उसके कारण बताएं।
4. वह व्यक्ति, जो इस संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, अपनी ऐसी सदस्यता संख्या/व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या/ऐसे प्राधिकार के प्रति निर्देश उपदर्शित करेगा, जिसके अधीन वह इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का हकदार है।